न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 84 / 2022(2022 / 290)

1. रामपसाद पुत्र श्री धन्ना जाति बैरवा निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

— — प्रार्थी

बनाम

1. सुरजकरण कुम्हार पुत्र श्री उगमा कुम्हार जाति कुम्हार निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. भूरा कुम्हार पुत्र श्री मापु जाति कुम्हार निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. कैलाश माली पुत्र श्री मोहन जाति माली निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
4. गोवर्धन पुत्र श्री मोहन जाति माली निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी जिला अजमेर।

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री निर्मल चौधरी
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 20.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।** आराजी की जमाबन्दी संवत 2069—72 में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
827—1	2	0.51	बारानी 3
	कुल किता 1	रकबा 0.51हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थि की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थि ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चली आ रही हैं। प्रार्थिया ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चली आ रही हैं। प्रार्थि की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजीयात के पडौसी खातेदार है प्रार्थि की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है प्रार्थि के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थि को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 5 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 5 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आये अतः प्रार्थना पत्र के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण द्वार उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना बताया। उनके हस्ताक्षर करवाये गये। पैरोकार सरकार द्वारा जवाव टिप्पणी अंकित कि गई जवाव मे बताया कि पत्रावली में संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 827–1 के खसरा संख्या 2 रकबा 0.51हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी